**राजस्थान सरकार**
**चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग**

क्रमांक प.1(71)एमई/ग्रुप–1/90पार्ट

जयपुर, दिनांक 23 JAN 2014

**आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ0 भूपेश जैन, जिनकी जन्मतिथि 30–08–1982 है एवं मेरिट संख्या आर–01/सामान्य पुरूष है, को सहायक आचार्य, शिशु औषध के पद पर वेतन श्रृंखला 15600–39100 (ग्रेड पे 6600/–) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/– प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ0 भूपेश जैन का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में सहायक आचार्य, शिशु औषध के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तो, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो के तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

"These appointments are subject to the decisions of S.B.Civil Writ Petition Nos. 10459/2009, 295/2013, 494/2013, 522/2013 and 684/2013."

आज्ञा से
23/1/14
(कैलाश चंद्र राव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन संचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(82)भर्ती/गोपनीय/2008–09/237 दिनांक 23.08.2013 के क्रम में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर।
5. डॉ0 भूपेश जैन C/o अविनाश जैन, 174, रूपनगर, हिरन मगरी, सैक्टर–3, उदयपुर, राजस्थान को (रजिस्टर्ड डाक से)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(धन्ना लाल)
शासन सहायक सचिव